संख्या-47/2023-2349/58-2023/330/2014

प्रेषक,

संकठा प्रसाद,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 3 अक्टूबर, 2023**

विषयः वर्ष 2023-24 में आलू बीज विक्रय दर का निर्धारण एवं निकासी समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-आलू 31जी/विक्रय दर/2023-24, दिनांक 12-09-2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये आलू बीज विक्रय दर निर्धारण चार्ट/विवरण के अनुसार, आंकलित दरों को दृष्टिगत रखते हुये सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आलू बीज की विक्रय दरें निधारित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार आलू बीज की विक्रय दरें निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैं:-

क्र0 सं0	आलू बीज की श्रेणी	विभाग के पास भण्डारित आलू बीज की मात्रा (कु0)	वर्ष 2023-24 हेतु आलू बीज की उत्पादन लागत के आधार पर प्रस्तावित विक्रय दर (रुपये प्रति (कु0)	अभ्युक्ति
1	आधारित प्रथम	34052.00	3325.00	सफेद एव लाल आलू बीज प्रजातियों की विक्रय दरें एक समान है।
2	आधारित द्वितीय	2039.00	2915.00	
3	ओवर साइज (आधा0प्रथम)	6349.50	2655.00	
4	ओवर साइज (आधा0द्वितीय)	177.50	2600.00	
5	आधारित प्रथम ड्रथफूल	110.00	2570.00	
	योग-	42728.00	-	

2- विक्रय दर में आंकलन से संतुष्टि की जिम्मेदारी निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की होगी।

https://shasanadesh.up.gov.in

3- आलू बीज वितरण तथा विक्रय के संबंध में शासनादेश सं0-2437/58-2009-100(2)/2006, दिनांक 01.10.2009 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। आलू बीज की गुणवत्ता आदि के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर कृषकों को आलू बीज उठाने हेतु प्रोत्साहित किया जाय, जिससे नीलामी की स्थिति उत्पन्न न हो एवं शासकीय क्षति से बचा जा सके। आलू बीज की उक्त विक्रय दरें वर्ष 2024-25 के लिए आधार नहीं मानी जायेगी।

4- निदेशक, उद्यान द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आलू बीज विक्रय/वितरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार ही की जाय।

5- राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ एवं मोदीपुरम, मेरठ से आलू बीज निकासी एवं जनपदों तक ढुलान व्यवस्था के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं आलू बीज के सड़न, संकुचन/सूखन के निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु उप निदेशक, उद्यान की अध्यक्षता में निम्नानुसार निगरानी समिति का गठन किया जाता है:-

(अ) राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ हेतु-

1.	उप निदेशक उद्यान, लखनऊ।	अध्यक्ष
2.	जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ।	सदस्य
3.	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, अलीगंज, लखनऊ।	सदस्य/सचिव

(ब) राजकीय शीतगृह मोदीपुरम, मेरठ हेतु-

1.	उप निदेशक उद्यान, मेरठ।	अध्यक्ष
2.	जिला उद्यान अधिकारी, मेरठ।	सदस्य
3.	आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मोदीपुरम, मेरठ।	सदस्य/सचिव

6. उक्त समितियां आलू बीज की छटाई, बिनाई एवं सुखाई के उपरान्त आलू बीज वितरण एवं निकासी के कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी। कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु संबन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संकठा प्रसाद)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in